प्रकरण संख्या 96/2017 वरदीसिंह बनाम शंकरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.10.2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा उभयपक्षों की समायत शुदा बहस पर मनन कर पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 29.09.2016 को तनकियात कायम की गयी तथा दिनांक 28.02.2017 को प्रकरण में वादी की साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत हुए। पत्रावली साक्ष्य वादी की जिरह के लिए लम्बित थी। दिनांक 11.04.2017 को दिनांक 09.05.2017 के लिए पेशी नियत की गयी, किन्तु दिनांक 09.05.2017 के स्थान पर पत्रावली दिनांक 26.05.2017 को लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादी की साक्ष्य ली ही नहीं गयी तथा प्रकरण में सिर्फ प्रतिवादी इन्द्रलाल के बयान लेकर प्रकरण में वादी की साक्ष्य लिये बिना एवं बिना तनकीवार विवेचन किये निर्णय पारित कर दिया, जो स्पष्टतया आदेश 20 नियम 5 जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर एवं उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देकर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.12.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 96/2017 वरदीसिंह बनाम शंकरलाल

प्रकरण संख्या 96/2017 वरदीसिंह बनाम शंकरलाल